न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर

बईजलास पीठासीन अधिकारी :–सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस

दायर दिनांक 11.02.2013
निर्णय दिनांक 26.08.2025

ऑन लाईन नम्बर 2013/00001
प्रकरण संख्या 12/13

1. श्रीमती अलखी पत्नी अमरजी पटेल जाति पटेल– मृतक
2. श्री शंकर पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
3. श्री वेला पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
4. श्री केशवलाल पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
5. श्रीमती गंगा पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
6. श्रीमती वाली पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
7. श्रीमती वाली पिता अमरजी पटेल जाति पटेल

– वादीगण

–: बनाम :–

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर डूंगरपुर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर
3. श्री नगर परिषद डूंगरपुर जरिये सभापति डूंगरपुर

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्दाज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188, 209 रा.का. अधि. एवं धारा 136 रा.भू. रा. अधि.

उपस्थित :–

श्री नरेश जोशी, अधिवक्ता, – वादीगण की ओर से
श्रीमती स्वाति पारीख, अधिवक्ता, – नगरपरिषद डूंगरपुर की ओर से
पैरोकार सरकार – प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 26.08.2025

वादीगण की ओर से दिनांक 21.01.2013 को वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण के पूर्वज श्री रूपजी व श्री नानजी आपस में भाई थे तथा श्री रूपजी के कचरू, रतना, मानजी, लालजी संतान होकर इस प्रकार श्री नानजी के पेमजी व खेमा संताने थी। रूपजी के पुत्र कचरू के श्री अमरजी यानि वादीगण संख्या 2 से 7 के पिता व वादीया संख्या 1 के पति एक मात्र वारिस थें। वादीगण संख्या 2 से 7 के दादा तथा श्रीमति अलखी के ससूर कचरू पटेल एवम् अन्य सहखातेदारान के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि मौजा फतेहपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर मे स्थित है। जिसका संवत 1984 से संवत 1991 वक्त बदोबस्त खाता संख्या 4 होकर खसरा नम्बर 265 रकबा 5 बिघा 9 बिस्वा था जिसका तत्कालीन नक्शा ट्रेस में अंकन है तथा आस पडोस का नक्शा ट्रेस मे अंकन है। संवत 1984 से 1991 के बन्दोबस्त पश्चात् बदोबस्त संवत् 1998–2008 के समय उक्त भूमि का खसरा नम्बर 17 अंकित किया गया तथा खाता नम्बर 20/2 होकर रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है जिसमे थोक पट्टी तरफ कचरू का नाम दर्ज है। पश्चात्वर्ती बदोबस्त में खसरा नम्बर परिवर्तित हुये पर्द तुलनात्मक संवत 2014 अनुसार खसरा नम्बर 33 होकर रकबा 17 बिघा 4 बिस्वा दर्ज किया गया। उक्त नम्बर का अंकन संवत 2019 की जमाबंदी में अंकन है जिसका खाता संख्या 25/2 होकर उपरोक्त भूमि बिलानाम काबिल काश्त बंजर में अंकित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

जरिये इन्द्राज दुरूस्ती खसरा नम्बर 33 जो मौजा फतेहपुरा डूंगरपुर में स्थित है जिसका रकबा 17 बिघा 4 बिस्वा है जिसमें वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 265 का 5 बिघा 9 बिस्वा सम्मिलित है का उपरोक्त रकबा खसरा नम्बर 33 से अलग किया जाकर अलग किये जाने वाले रकबा 5 बिघा 9 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्षों के आधार पर इस बात की भी घोषणा की जावे कि बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से वक्त बन्दोबस्त कचरू की भूमि गलत रूप से बिलानाम दर्ज की गई और गलत रूप से यह भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई।

नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 15.02.2002 ग्राम फतेहपुरा पटवार मण्डल राजपुर तहसील डूंगरपुर अपने प्रमाणित दिनांक से ही वादीगण के विरूद्ध शुन्य व प्रभावहीन घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की प्रतिवादीगण वादीगण को वादीगण की भूमि जो गलत रूप से वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है जिसका खसरा नम्बर 33 है जिसमें वादीगण की भूमि का रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा गलत रूप से सम्मिलित कर दिया गया है से बेदखल न करें जोर जबरदस्ती कब्जे का प्रयास न करें वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा न करें तथा वादीगण की भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा है किसी भी योजना के तहत विक्रय में सम्मिलित नही करें, उसमें किसी प्रकार का मार्ग न निकाले किसी प्रकार से किसी भी कार्य में उपयोग उपभोग में न लेवें। दौराने वाद वादीगण को बेकब्जा किये जाने पर कब्जा पुनः दिलाया जाने निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के नाम सम्मन जारी किये जाकर जवाब तलब किये गये। तहसीलदार डूंगरपुर से जवाब प्रस्तुत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 98 दिनांक 15.2.2002 को प्रभावहीन/शुन्य घोषित कराने के वादीगण का अधिकार नही है। विवादित भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा /स्वामित्व नही रहा है। जिससे वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण की किसी भी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही हैं। वाद ग्रस्त भूमि वर्ष 2002 से नगर परिषद डूंगरपुर के नाम दर्ज है वाद सिविल लेवल का है। विवादित भूमि का वर्षो पूर्व काश्त की भूमि होना बताते हुए वाद राजस्व न्यायालय मं प्रस्तुत किया जो खारीज योग्य होने से खारीज किया जाने निवेदन किया है।

अयुक्त नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा अपने जवाब में बताया है कि इस थोक पट्टी में अंकित कचरू नाम से वादीगण विवादित भूमि के खातेदार नही है साथ ही यदि वादीगण के पूर्वज कचरू का ही नाम मान लिया जाय तो इस तथा कथित कचरू के नाम के साथ उसके सगे भाई रतना, मानजी एवं लालजी के नाम भी अंकित होते। इस स्थिति में यह प्रमाणित है कि थोक पट्टी में अंकित कचरू नाम वादीगण के पूर्व कचरू का नाम नही है खसरा नम्बर 265 की भूमि खसरा नम्बर 17 में कहां से अंकित है यह प्रमाणित नही है एवं खसरा नम्बर 17 की भूमि खसरा नम्बर 33 में सेटलमेंट के वक्त परिवर्तित की गयी यह भी प्रमाणित नही है। वस्तुतः यह सम्पूर्ण भूमि आरम्भ से ही बिलानाम सरकार रही है, जिस पर नगरपालिका प्रतिवादी नम्बर 3 का एक मात्र कब्जा अधिकार रहा है। वादीगण अथवा पूर्वजो का इस भूमि पर कोई अधिकार स्वामित्व एवं खातेदारी कभी नही रही है। विवादित भूमि का रिकॉर्ड अनुसार भी अंकन प्रतिवादीगण के नाम वर्ष 2000 से चला आ रहा है। इसके पूर्व भी भूमि प्रतिवादीगण के स्वामित्व कब्जे में चली आयी है। वादीगण का वाद कारण वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

2011 में उत्पन्न होना अस्वीकार है। वाद बैरून म्याद ही खारीज किया जावे। वाद सिविल नेचर का होने से सिविल न्यायालय में वाद मूल्यांकन रूपया 5 लाख पर उचित एवं विधिक न्याय शुल्क पश्चात् ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। विवादित भूमि को वर्षो पूर्व काश्त की होना बताते हुये गलत तरीके से वाद राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो खारीज योग्य है। वादग्रस्त आराजी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से खारीज किया जावे। उक्त जवाब प्रस्तुत के पश्चात निम्नानुार तनकीयात कायम की गयी।

1. आया मौजा फतेहपुरा के खसरा संख्या 33 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा स्थित है जिसमें पुरानी खसरा संख्या 265 का 5 बिघा 9 बिस्वा सम्मिलित है जो वादी की भूमि होने से खातेदार काश्तकार की घोषणा का अधिकारी है ?

वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि नगरपरिषद डूंगरपुर विधिवत रूप से आवंटन हुआ है एवं विभाग को कब्जा सुपुर्द किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण खारीज किया जावे।

प्रतिवादीगण

3. अनुतोष

वादीगण की ओर से श्री शंकरलाल पिता अमरजी पटेल का साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं साक्ष्य सरकारी पेश करने प्रस्तुत गवाह सूची में श्री सतीशचन्द्र गिरदावर को जरिये सम्मन तलब किया गया। गवाह श्री शंकर से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह पूर्ण हुई। गवाह पी.डब्ल्यु 2 श्री सतीश के बयान लिपिबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये परन्तु आपत्ति होने होने से अपूर्ण रहे। मुख्य परीक्षण में पुछे गये प्रश्न पर आपत्ति बाबत् सूना गया। प्रश्न पूछने के लिये आज्ञा नही दी जाती है। विवादग्रस्त विषय एवं भूमि पर स्थिति बाबत् मौके की वर्तमान रिर्पोट तहसीलदार से मंगवाई जावे तत्पश्चात् वादी साक्ष्य हेतु पेश होने निर्देशित किया गया। तहसीलदार से रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। स्वतन्त्र गवाह श्री सतीशचन्द्र को नोटिस जारी किये गये। गवाह श्री सतीशचन्द्र के बयान कलमबद्ध कराये जाकर जीरह प्रतिवादी द्वारा की गई। वकील वादी द्वारा आदेश 18 नियम 7 का प्रार्थना पत्र पेश किया। श्री सतीशचन्द्र पटवारी उपस्थित नही हुये। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गयी। दौराने वाद वादिया अलखी की मृत्यु हो गयी। पटवारी श्री सतीशचन्द्र सेवानिवृत हो जाने से पटवारी पटवार मण्डल राजपुर से प्रथम सेटलमेंट से आज तक जमाबंदी चौसाला वार रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने लिखा गया एवं वादी को मिलान क्षेत्रफल की नकले प्रस्तुत करने निदेर्शित किया गया तथा कई मौके प्रदान किये गये परन्तु वादी साक्ष्य वादी क्षेत्रफल मिलान प्रस्तुत नही किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर अंतिम बहस नियत की गई।

वकील वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपस्थित अभिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। उक्त पत्रावली में जमाबंदी चौसाला, सेटलमेंट जमाबदी व मिलान क्षेत्रफल की नकले आदिनांक प्राप्त करने हेतु लम्बे समय से प्रकरण विचाराधीन रहा। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जवाब भी पत्रावली पर होकर वाद में वर्णित ग्राम फतेहपुरा का खसरा संख्या 265 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा का उल्लेख है जो खतौनी 1984 से 1991 नाम थौक पट्टी कचरू रूपसी पटेल खाता नम्बर 4 में कचरू वो रतना को मानजी वो लालजी पिता रूपजी वो खेमा पिसरान नानजी कौम पटेलान सा.देह दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 1999 से 2000 तक में

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

खसरा नम्बर 17 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा कचरू मजकुर में रकबा खाता 20/2 शामलात देह काबिल काश्त दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल संख्या 2014 से साबिक खसरा संख्या 17 रकबा 20 बिघा 6 बिस्वा का हाल नम्बर 33 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा बना है। भू. प्रबन्ध सम्वत 2019 खतौनी का 26 के खाता संख्या 25/2 में खसरा संख्या 33 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा किस्म पडत बिलानाम काबिल काश्त बंजर दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 के खाता संख्या 1 बिलानाम काबिल काश्त खसरा 33 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा पडत नामान्तरण संख्या 98 दिनांक 15.02.2002 से नगरपरिषद डूंगरपुर के नाम दर्ज हुआ है। वादीगण से साबिक खसरा संख्या 265 के मिलान खसरा नकल पेश नही है और यह साबित नही कर पाये है कि खसरा संख्या 265 से खसरा संख्या 17 बना है। खतौनी खसरा संख्या 17 खतौनी सम्वत् 1999 से 2008 यानी की टीनेंसी एक्ट लागु होने से पूर्व शामलाती खाते दर्ज थी। शामलाती खाता है आगे चलकर सरकार बिलानाम खाता बना है। इस प्रकार टिनेंसी एक्ट लागु होने के पूर्व और तत्पश्चात् शामलात देह मे दर्ज भूमि जो सरकारी भूमि है उसे वर्तमान मे सरकारी से नगरपरिषद डूंगरपुर के नाम भूमि है।

वादीगण प्रकरण में परिवर्तित नम्बर का कोई दस्तावेज एवं मौके पर कब्जे के कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नही किये गये। खतौनी आसामीवार मौजा फतेहपुरा सम्वत् 1999 से 2008 में थोक पट्टी कुचरू मजकुरे खाता संख्या 20/2 शामलात देह काबिल काश्त खसरा संख्या 17 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है जो सेटलमेंट खतौनी सम्वत 2019 खाता संख्या 25/2 बिलानाम काबिल काश्त बंजर खसरा संख्या 33 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज है। टिनेंसी एक्ट के प्रभावी होने से ही भूमि शामालात देह (सरकार भूमि) दर्ज रही है तत्पश्चात् से सरकारी भूमि होकर नामान्तरण संख्या 98 दिनांक 15.02.2002 से नगर परिषद डूंगरपुर के नाम दर्ज हुई है। पुष्ट साक्ष्य के अभाव में वाद को स्वीकार किया जाना नही पाता हूँ।

अतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 26.08.2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

डिगरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जा.दी.)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर राजस्थान**

बईजलास **श्री सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर**

दायर दिनांक 11.02.2013

प्रकरण संख्या 12 / 13

1. श्रीमती अलखी पत्नी अमरजी पटेल जाति पटेल– मृतक
2. श्री शंकर पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
3. श्री वेला पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
4. श्री केशवलाल पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
5. श्रीमती गंगा पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
6. श्रीमती वाली पिता अमरजी पटेल जाति पटेल
7. श्रीमती वाली पिता अमरजी पटेल जाति पटेल

– वादीगण

–: बनाम :–

1. श्री राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर डूंगरपुर
2. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर
3. श्री नगर परिषद डूंगरपुर जरिये सभापति डूंगरपुर

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्दाज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 92क, 188, 209 रा.का. अधि. एवं धारा 136 रा.भू. रा. अधि.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू सांवरलाल आबासरा पक्षकारान बहाजरी श्री नरेश जोशी मिनजानिब मुदई व श्रीमती स्वाती पारीख एवं पेरोकार सरकार मिनजाबि मुदायलाह पेश होकर हूक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है : –

वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तगखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26 माह 08 सन् 2025 से जारी की गई।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर

मुददई	रूपया / पैसा	मुददायला	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा		स्टाम्प वकालत नामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		मेहनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
वक्त ईजराय		वक्त ईजराय	
मुतफरीक		मुतफरीक	

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूँगरपुर